मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधिनियम , 1954

[1954 का क्रमांक 16]

विषय-सूची

धारा

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

2. परिभाषाएँ

3. लावारिस शरीर के विषय में संशय अथवा विवाद राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौंपा जायेगा

4. राज्य शासन की धारा 5 के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने

की शक्ति

5. लावारिस शरीर चीड़-फाड़ परीक्षण हेतु प्रयुक्त होंगे

6. दण्ड

7. लावारिस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में

सहायता करने हेतु पुलिस और

अन्य अधिकारी का कर्त्तव्य

8.अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति का बचाव

9.अधिकारी लोक सेवक होंगे

10.नियम

[राज्यपाल की स्वीकृति 12 अप्रैल, 1954 को प्राप्त हुई, स्वीकृति का प्रथम प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में 23 अप्रैल ,1954 को हुआ]

मृत व्यक्तियों के लावारिस शरीर चिकित्सालयों और आयुर्विज्ञान एवं शिक्षण संस्थाओं को चीर-फाड़ विश्लेजषण के अभिप्राय से आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु अधिनियम

प्रारम्भिक - जबकि मृत व्यक्तियों के लावारिस शरीर चिकित्सालयों और आयुर्विज्ञान एवं शिक्षण संस्थाओं को चीरफाड़ विश्ल्ोरषके अभिप्राय से आपूर्ति का प्रावधान करना सामयिक है:

यह एतद् द्वारा निम्नरलिखित में अधिनियमित किया जाये :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधिनियम 1954 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा।

(3) यह मध्य प्रदेश के ऐसे समस्त क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा जिनमें वह मध्य प्रदेश विधियों का विस्तारण अधिनियम , 1958 (1958 का क्रमांक 23) के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व प्रभावशील था और ऐसे अन्य क्षेत्रों में और ऐसे दिनांक को प्रभावशील होगा जो राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।

2. परिभाषायें - इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(अ) "स्वीकृत संस्था" से तात्पर्य है राज्य शासन द्वारा चीर-फाड़ परीक्षण और विश्लेहषण करने हेतु स्वीकृत कोई चिकित्सालय अथवा आयुर्विज्ञान अथवा शिक्षण संस्था;

(आ) "प्राधिकृत अधिकारी" से तात्पर्य है ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के कार्यो का निष्पादन करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया जाये;

(इ) "विहित" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ई) "लावारिस शरीर" से तात्पर्य है किसी मृत व्यक्ति का शरीर लावारिस जिसके लिये उसके निकट सम्बन्धियों में से कोई अथवा उसकी जाति, समुदाय और धर्म का कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि में जो विहित की जाये दावा न करे।

3 लावारिस शरीर के विषय से संशय अथवा विवाद राज्य शासन द्वारा नियुक्ति अधिकारी को सौंपा जायेगा – यदि कोई संशय अथवा विवाद उत्पन्न होता है कि किसी मृत व्यक्ति का शरीर लावारिस शरीर है, तो मामला राज्य शासन द्वारा इस हेतु किसी क्षेत्र के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी को सौंपा जायेगा और ऐसे अधिकारी का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।

4. राज्य शासन की धारा 5 के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत करने की शक्ति- राज्य शासन अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र हेतु अथवा उसके किसी भाग हेतु, जिसमें यह अधिनियम लागू

होता है, एक अथवा अधिक अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है जिनको धारा 5 के अन्तर्गत रिपोर्ट की जायेगी और जो उक्त धारा के अन्तर्गत कार्य करने हेतु सक्षम होंगे।

5. लावरिस शरीर चीर-फाड़ परीक्षण हेतु प्रयुक्त होंगे- (1) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा संचालित किसी चिकित्सालय में चिकित्सा के अन्तर्गत है और वह ऐसे चिकित्सालय में मृत हो जाता है और उसका शरीर लावारिस है तो ऐसे चिकित्सालय के पदासीन प्राधिकारी न्यूनतम व्यावहारिक विलम्ब करके इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को देंगे और ऐसा अधिकारी तब उस लावारिस शरीर को चीरफाड़ परीक्षण और विश्लेकषण के अभिप्राय से किसी स्वीकृत संस्था के पदासीन प्राधिकारियों को सौंप देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में उल्लिखित किसी चिकित्सालय में अथवा बन्दीगृह में मृत हो जाये और उसका शरीर लावारिस है तो ऐसे चिकित्सालय अथवा बन्दीगृह के पदासीन अधिकारी न्यूनतम व्यावहारिक विलम्ब करके इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को देंगे और उक्त अधिकारी लावारिस शरीर की उपधारा (1) में विहित अभिप्राय हेतु किसी स्वीकृत संस्था के पदासीन प्राधिकारियों को सौंप देगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का स्थाई निवासी न हो जहाँ उसकी मृत्यु हुई हो ऐसे क्षेत्र के लोक स्थान में मृत हो जाये और उसका शरीर लावारिस हो तो प्राधिकृत अधिकारी शरीर का कब्जा लेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रावधानों के लिये मान्य की गई संस्था के प्राधिकारियों को सौंप देगा।

6. दण्ड- जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा आज्ञापित रूप के सिवाय किसी लावारिस शरीर का निपटारा करता है अथवा निपटारा करने में अवप्रेरित करता है अथवा किसी स्वीकृत संस्था के किसी पदासीन प्राधिकारी को अथवा प्राधिकृत अधिकारी को सौंपने, कब्जा लेने, हटाने अथवा इस अधिनियम में विहित अभिप्राय हेतु ऐसे शरीर का उपयोग करने में बाधा डालता है तो उसे, दोष सिद्धि पर, 5 सौ रूपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जायेगा।

7. लावारिस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में सहायता करने हेतु पुलिस एवं अन्य अधिकारियों का कर्त्तव्य- पुलिस और लोक स्वास्थ्य विभागों के समस्त अधिकारी और किसी स्थानीय संस्था की सेवा में समस्त अधिकारी और समस्त ग्राम अधिकारी किसी लावारिस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए, सभी युक्तियुक्त कदम उठाएंगे।

8. इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों का बचाव- इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सद्भावना पूर्वक किये गये कार्य अथवा करने के अभिप्राय हेतु किसी व्यक्ति पर कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं चलेगी।

9. अधिकारी लोक सेवक होंगे- इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने हेतु नियुक्ति अथवा प्राधिकृत समस्त अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का क्रमांक 45) की धारा 21 के अर्थो में लोक सेवक माने जावेंगे।

10. नियम (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अभिप्रायों को कार्यरूप देने हेतु नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्न प्रावधान हो सकेगा।

(अ) अवधि जिसमें किसी मृत व्यक्ति के शरीर का दावा किया जा सकेगा ; और

(आ) मृत शरीरों की सुरक्षा ।

नियम

अन्तर्गत मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधिनियम , 1954

अधिसूचना क्रमांक 5580/1593/सत्तरह /चिकित्सा / चार दिनांक 24 दिसम्बर ,1966

1. यह नियम मध्य प्रदेश ऐनेटामी नियम, 1966 कहलायेंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(अ) "अधिनियम " से तात्पर्य है मध्य प्रदेश ऐनेटामी अधिनियम , 1954

(आ) "लावारिस मृत शरीर" से तात्पर्य है किसी मृत व्यक्ति का शरीर जिसके लिए उसके निकट सम्बन्धियों में से किसी के द्वारा अथवा उसकी जाति, समुदाय और धर्म के किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के 72 घन्टे के अन्दर कोई दावा न किया जाये।

3. (1) पुलिस, आयुर्विज्ञान और लोक स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी और किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी और प्रत्येक ग्राम अधिकारी और कर्मचारी जिसे किसी ऐसे व्यक्ति की किसी क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर मृत्यु की जानकारी मिलती है जिससे उसका कोई स्थायी निवास-स्थान नहीं है, तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट न्यूनतम व्यावहारिक विलम्ब करके निकटतम पुलिस थाने के पदासीन अधिकारी को देगा।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत रिपोर्ट की प्राप्ति पर पुलिस थाने का पदासीन अधिकारी, मृत शरीर को सड़ने से सुरक्षित करने हेतु चिकित्सालय में पहुँचाने की व्यवस्था करेगा और तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकारी को देगा।

(3) उपनियम (2) में किसी बात को होते हुए भी उस ग्राम के पटेल अथवा सरपंच का, जिसमें अथवा जिसके समीप मृत शरीर पाया जाये, यह कर्त्तव्य होगा कि वह मृत शरीर को सड़ने से सुरक्षित

करने हेतु निकटतम चिकित्सालय में पहुँचाने की व्यवस्था करे और इस तथ्य की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के पदासीन अधिकारी को भी दे।

(4) मृत शरीर को चिकित्सालय में पहुँचाने में आये खर्च का बिल चिकित्सालय के पदासीन अधिकारी को भेजा जायेगा जो उसका भुगतान करेगा। उक्त अधिकारी , मृत शरीर को उसके संरक्षण में चिकित्सालय लाये जाने और उसे सुरक्षित रखने की सूचना प्राधिकृत अधिकारी को भी देगा।

4. (1) जहाँ कोई व्यक्ति किसी चिकित्सालय में अथवा बंदीगृह में मृत हो जाता है तो ऐसे चिकित्सालय अथवा बंदीगृह का पदासीन अधिकारी परन्तु इस तथ्य की सूचना रोगी अथवा बन्दी के रिकार्ड में उल्लिखित उसके निकटतम संबंधी को देगा। यदि उक्त संबंधी 72 घन्टे के अन्दर शरीर के लिए दावा नहीं करता तो मृत शरीर को धारा 5 में दी गई रीति में निपटा दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के पालन में, किसी दावे की प्राप्ति तक, यदि कोई हो, मृत शरीर को सड़ने से सुरक्षित करने हेतु चिकित्सालय में अथवा आयुर्विज्ञान में प्रशिक्षण संस्था में जैसी भी स्थिति हो, पहुँचा दिया जायेगा।

(3) यदि उपनियम (1) में विहित अवधि में ऐसे शरीर के लिए दावा नहीं किया जाता तो प्राधिकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 5 में दी गई रीति में शरीर का निपटारा करने हेतु अग्रसर होगा।

(4) यदि स्वीकृत संस्थाओं में से किसी को चीड़-फाड़ परीक्षण और विश्लेनषण हेतु मृत शरीर की आवश्यकता न हो तो सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी उसे वैधानिक दावेदार को सौंप देगा अथवा यदि कोई ऐसा दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वह मृत शरीर का अग्नि संस्कार अथवा दफनाने द्वारा निपटारा कर देगा , जैसी भी स्थिति हो।

5. ऐसा व्यक्ति जो अपने मृत शरीर को चीर-फाड़ प्रशिक्षण और विश्लेिषण हेतु समर्पित करने की इच्छा रखता हो, अपनी इच्छा की सूचना लिखित में सम्बन्धित जिले के प्राधिकृत अधिकारी को देगा ।प्राधिकृत अधिकारी ऐसे समस्त समर्पणों का रिकार्ड इन नियमों से संलग्न प्रारूप में रखेगा।

6. (1) किसी मृत शरीर के विषय में किसी संशय अथवा विवाद से संबंधित धारा 3 के अन्तर्गत कोई मामला उस धारा के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी को, लिखित में आवेदन द्वारा सौंपा जायेगा और उक्त अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में दिया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति पर, धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी , ऐसे अग्रेषण की प्राप्ति से दो दिन के अन्दर का दिनांक सुनवाई हेतु तुरन्त नियत करेगा और तदनुसार पक्षकारों को सूचित कर देगा।

(3) संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चाोत् राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी, ऐसी अतिरिक्त जाँच कर सकेगा, जो वह मामले के निपटारे हेतु उचित समझे और अपना निर्णय सुनवाई के दिनांक को देगा और उसका निर्णय अन्तिम एवं निर्णायक रहेगा।

7. प्राधिकृत अधिकारी लावारिस मृत शरीरों को सुरक्षित रखने हेतु बर्फ अथवा मुर्दाघरों में रखवाने की व्यवस्था करेगा ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके, जब तक कि—

(अ) धारा 3 के अन्तर्गत निर्णय न कर दिया जाये;

(आ) उसे उसके किसी संबंधी, मित्र अथवा सेवक को सौंप न दिया जाय; अथवा

(इ) उसे किसी आयुर्विज्ञान संस्था को चीर फाड़ परीक्षण अथवा विश्लेमषण हेतु सौंप न

दिया जाय।

8. इन नियमों में की कोई बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहाँ मृत्यु शंकाप्रद परिस्थितियों में हुई हो और शरीर चिकित्सीय-विधिक परीक्षण हेतु अपेक्षित हो। ऐसे मामले में यदि पुलिस ने स्वयं शरीर का कब्जा न लिया हो तो शरीर पुलिस को सौंप दिया जायेगा।

9. मध्य भारत पैथोलाजी एवं एनेटामी नियम, 1956 और मध्य प्रदेश राज्य के किसी क्षेत्र में इन नियमों के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के समकक्ष अन्य कोई नियम, एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु प्रावधान यह है कि इस प्रकार निरसित नियमों के अन्तर्गत की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, जब तक कि वह बात अथवा कार्य इन नियमों के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो, इन नियमों के अन्तर्गत की गई अथवा किया गया माना जायेगा।

प्रारूप

(नियम 5 देखिये)

ऐसे व्यक्तियों का रजिस्टर जो अपने मृत शरीर को चीर–फाड़ परीक्षण और विश्लेरषण के अभिप्रायों से अर्पित करने की इच्छा रखते हैं

जिला.....

क्रमांक	व्यक्ति का नाम और पता जो अपने मृत शरीर को चीर-फाड़ विश्ले.षण और परीक्षण के अभिप्राय हेतु अर्पण करने की इच्छा रखता है	आवेदन की प्राप्ति का दिनांक	स्वीकृत संस्था का नाम जिसे मृत शरीर भेजा जायेगा	मृत शरीर सौंपने का दिनांक	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)